फीकल स्लज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

प्रदेश की नगरीय निकायों को फीकल स्लज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट विषय की प्रायोगिक जानकारी देने के लिए स्वायत्त शासन विभाग में मंगलवार को राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) एवं ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गर्वनमेंट के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक स्वायत्त शासन विभाग श्री मुकेश कुमार मीणा ने की।

कार्यशाला में सेप्टेज मैनेजमेंट विषय बताया गया कि प्रदेश के जिन शहरों में सीवरेज लाना संभव नहीं है। ऐसे शहरों में सेप्टेज मैनेजमेंट लागू किया जायेगा। यह एक साधारण तकनीक है, जिसके तहत मल का निस्तारण किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में मल गाद/सेप्टिक प्रबंधक के महत्व को मानते हुए, राजस्थान के 100 से अधिक छोटे शहरों (लगभग 50,000 से कम जनसंख्या वाले) की सेप्टेज/मल गाद स्थिति का अध्ययन शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) द्वारा किया गया है।

कार्यशाला में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट (एफएसएसएम) की नीति एंव नियामक ढ़ांचा, प्रोद्योगिकी, अपशिष्ठ जल प्रक्रिया का विकेन्द्री दृष्टिकोण, सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गई।

दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश सरकार के 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने प्रदेश में किये गये कार्यो जानकारी प्राप्त की

दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में किये गये कार्यो की जानकारी लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल (अधिकारियों) ने मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा से भेंट की।

इस अवसर पर स्वायत्त शासन भवन में आयोजित दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत किये गये कार्यो की जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजना निदेशक श्री एस.आर.मीणा ने दी।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान में शहरी आजीविका मिशन के तहत काफी अच्छा कार्य हुआ है। केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में किये गये कार्य को रोल मॉडल मानते हुए उत्तर प्रदेश के 20 अधिकारियों को मिशन के तहत किये गये कार्यो की जानकारी लेने के लिए भिजवाया गया है। जिससे उक्त रोल मॉडल को उत्तर प्रदेश में मुख्यतयाः गौरखपुर और वाराणसी में लागू किया जाये।

दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर निगम जयपुर में किये गये कार्यो की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से आये अधिकारियों के दल ने वहॉ जाकर जानकारी प्राप्त की।

स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 देश में 4 जनवरी, 2018 से प्रारम्भ

स्वच्छता सर्वेक्षण–2018 की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 500 शहरों (1 लाख और उससे अधिक आबादी वाले) में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान प्रारम्भ होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण–2018 की जानकारी देने के लिए सोमवार 18 सितम्बर, 2017 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होटल क्लार्क्स आमेर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग में किया गया।

इस अवसर पर नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी ने कहा कि स्वच्छता के लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करना होगा। उन्हें यह अहसास करना होगा कि यह शहर हमारा है। हमें इसे स्वच्छ रखना है। उन्होनें कहा कि आज विकास कार्यो की होड़ लगी हुई है। हर नगरीय निकाय विकास कार्यो पर जोर दे रहा है। उन्होनें कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को टीम भावना से काम करते हुए अपने–अपने वार्डो, शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाना है तथा आने वाले वर्ष में 4 जनवरी से प्रारम्भ होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में अपने शहर/प्रदेश को अव्वल बनाना है। उन्होनें बताया कि प्रदेश में सर्वे अनुसार 4.30 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयो का निर्माण किया जाना है। जिसके तहत अब तक स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर 420718 आवेदन अपलोड कर दिये गये है। जिसमे से 329268 आवेदनो को प्रमाणित कर 302857 आवेदनो की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा स्वच्छ भारत पोर्टल के अनुसार कुल 281000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयो एवं 903 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयो का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 45 का कार्य प्रगतिरत है। प्रदेश की 32 नगरीय निकायो को खुले मे शौचमुक्त घोषित किया जा चुका है तथा 38 नगरीय निकायो को अक्टूबर 2017 तक तथा शेष सभी नगरीय निकायो को दिसम्बर, 2017 तक खुले मे शौचमुक्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश के कुल 5300 वार्डो मे से 3885 वार्डो मे घर–घर कचरा संग्रहण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं दिसम्बर, 2017 तक शेष वार्डों मे घर–घर कचरा संग्रहण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में अनुमानित 6400 टन प्रतिदिन कचरा उत्पन्न होता है उसमे से वर्तमान मे 610 टन प्रतिदिन कचरा प्रोसेसिंग किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के परिसंस्करण एवं निपटान के लिए प्रदेश के 16 शहरो मे प्रोसेसिंग प्लांट के लगाये जा रहे है। यह सभी प्लान्ट मार्च 2018 तक तैयार हो जायेंगे। जिनमें अनुमानित 1500 टन प्रतिदिन कचरा प्रोसेसिंग हो सकेगा। जयपुर एवं जोधपुर मे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाये जा रहे है। जिनमे अनुमानित 1000 टन प्रतिदिन कचरे से लगभग 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। जो मार्च 2018 तक तैयार किये जायेगे।

अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण श्री श्रीराम वेदरे मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में गत 3 वर्षो से अभियान के

तहत ऐतिहासिक एवं परम्परागत जल स्त्रोतों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के प्रदेश के 66 शहरों को जोड़ा गया तथा वहॉ स्थित हैरिटेज एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बावड़ियों का जीर्णोद्धार कराया गया। उन्होनें कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) से जुड़े 66 शहरों में स्थित सभी बावड़ियों को जीर्णोद्धार योजना से जोड़ा जाये यदि किसी बावड़ी के जीर्णोद्धार की आवश्यकता नहीं है तो संबंधित अधिकारी इस संबंध में लिखित रूप में निदेशालय को जानकारी प्रेषित करे। उन्होनें बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के द्वितीय चरण में प्रदेश के 191 नगरीय निकायों को जोड़ा गया है तथा यहॉ स्थित सभी बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है तथा सरकारी भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाये जा रहे है। उन्होनें कार्यशाला में बावड़ियों व रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जीओ–टेगिंग किये जाने की विधि पर भी प्रकाश डाला।

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह ने कार्यशाला में कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण–2018 के बारे में निकाय प्रमुखों एवं अधिकारियों को जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होनें बताया कि सर्वेक्षण–2018 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छता मे उनकी भागीदारी एवं जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है साथ ही इस सर्वेक्षण से नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने मे सुधार करना एवं सभी नगरीय निकायों में एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा को जागृत करना है। उन्होनें बताया कि राजस्थान सभी केन्द्रीय योजनाओं में अग्रणी है। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन में भी राजस्थान को आगे निकलना होगा।

निदेशक, स्वच्छता, डॉ आरूषि मलिक ने कार्यशाला में स्वच्छता सर्वेक्षण–2018 पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में अब तक 27 लाख से अधिक घरेलू शौचालयों को निर्माण किया जा चुका है। उन्होनें कहा कि जब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त किये जाने में आगे बढ़ रहे है, तो ऐसे में शहरी नगरीय निकायों को भी प्रयास करके अपने–अपने क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाना होगा।

इस अवसर पर निदेशक एवं सुयक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 04 जनवरी, 2018 से प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण – 2018 प्रारम्भ किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में प्रदेश की 191 नगरीय निकाय भाग लेंगी। उन्होनें कहा कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के लिए नये पैरामीटर तैयार किये गये है। जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या/ राज्यों की राजधानी के 500 शहरों की रैकिंग ऑल इण्डिया लेवल पर की जायेगी। जिसमें राज्य के 29 शहरी सम्मिलित होंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 3541 शहरों की रैकिंग राज्य एवं जोन स्तर पर की जायेगी। जिसमें राज्य की 162 नगरीय निकाय सम्मिलित होंगी।

केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट श्री वैभव राव ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के तहत जो सर्वेक्षण पद्धति निर्धारित की गयी है उसमें कुल अंकों में से म्यूनिसिपल डॉक्यूमेंटेशन के लिए 35 प्रतिशत, प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए 30 प्रतिशत एवं नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 35 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के लिए म्यूनिसिपल डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुल 1400 अंको का बटवाया किया जायेगा, जिनमें ठोस कचरे का परिवहन एवं एकत्रिकरण के लिए 30 प्रतिशत (420 अंक), ठोस कचरे का प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए 25 प्रतिशत (350 अंक), स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त 30 प्रतिशत (420 अंक), सूचना–शिक्षा एवं संचार व्यवहार में बदलाव के लिए 5 प्रतिशत (70 अंक),

क्षमता सवंर्द्धन के लिए 5 प्रतिशत (70) एवं नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रक्रिया के लिए 5 प्रतिशत (70 अंक) दिये जायेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण – 2018 के लिये स्वतंत्र सत्यापन के लिए इन्डीकेटर्स की प्रगति सही नहीं होने के स्थिति में नेगेटिव मार्किंग भी की जा सकेगी।

उन्होनें बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के तहत प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए जो सर्वेक्षण पद्धति निर्धारित की गयी है उसमें 1200 अंकों में प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए 30 प्रतिशत (360 अंक), नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 35 प्रतिशत (420 अंक), सर्विस लेवल प्रोग्रेस के लिए 35 प्रतिशत (420 अंक) निर्धारित किये गये है। इसी प्रकार नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 1400 अंकों में प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए 30 प्रतिशत (420 अंक), नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 35 प्रतिशत (490 अंक), सर्विस लेवल प्रोग्रेस के लिए 35 प्रतिशत (490 अंक) निर्धारित किये गये है।

उन्होनें कहा कि प्रदेश को खुले में शौच मुक्त बनाये जाने के लिए दिसम्बर 2017 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के सभी वार्डो/शहरों को दिसम्बर, 2017 से पूर्व खुल में शौच से मुक्ति के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय को कार्य योजना बनाकर समयबद्ध रूप से आवश्यक शौचालयों का निर्माण तेजी से करते हुए निर्धारित समयावधि में लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के तहत घर–घर कचरा संग्रहण/परिवहन, प्रसंस्करण एवं निपटान के सभी कार्य करने होंगे।

स्मार्ट राज पोर्टल के माध्यम जारी होंगी

ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान स्वीकृती, नगरीय विकास कर जमा कराना, ट्रेड लाईसेंस स्वीकृति, अग्निशमन अनापत्ति

ई–गर्वनेन्स के अन्तर्गत स्मार्ट राज पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालयों एवं 2 जिला मुख्यालयों पर 01 अक्टूबर, 2017 से ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान स्वीकृती, नगरीय विकास कर जमा कराना, ट्रेड लाईसेंस स्वीकृति, अग्निशमन अनापत्ति जारी की जायेगी।

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा एवं भरतपुर व 2 जिला मुख्यालयों बून्दी एवं सवाईमाधोपुर में 01 अक्टूबर, 2017 से ई–गर्वनेन्स के अन्तर्गत स्मार्ट राज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान स्वीकृती, नगरीय विकास कर जमा कराना, ट्रेड लाईसेंस स्वीकृति, अग्निशमन अनापत्ति जारी की जायेगी। उन्होनें बताया कि प्रायोगिक तौर पर यह प्रक्रिया एक माह तक ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनो क्रियाशील रहेगी, तथा एक माह बाद प्रक्रिया सम्पूर्ण कर ली जावेगी, साथ ही नगरीय विकास कर जमा कराया जाना, ट्रेड लाईसेंस हेतु स्वीकति प्राप्त करना, व अग्निशन अनापति जारी करना आदि ऑनलाईन सिस्टम से ही की जावेगी।

उन्होनें कहा कि 25 अक्टूबर से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान स्वीकृती, नगरीय विकास कर जमा कराना, ट्रेड लाईसेंस स्वीकृति, अग्निशमन अनापत्ति जारी की जायेगी तथा दिसम्बर, 2017 तक सभी नगरीय निकायों में स्मार्टराज के 22 मॉड्यूल्स पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

उन्होनें बताया कि राज्य सरकार द्वारा Ease of Doing Business के तहत् किये जाने वाले बिजनेस एक्शन प्लान रिफोर्म के अन्तर्गत ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान स्वीकृती को प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य हैं। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत भवन निर्माण स्वीकृति हेतु दो प्रावधान किये गये है। जिनमें ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान स्वीकृती सामान्य प्रक्रिया एवं ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान स्वीकृती फास्ट ट्रेक अप्रुवल प्रक्रिया शामिल है। इन प्रक्रियाओं मे सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदक को भवन निर्माण स्वीकृति ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत् ही अधिकतम 30 दिवस में प्राप्त हो सकेगी एवं फास्ट ट्रेक अप्रुवल प्रक्रिया में एक दिवस में भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी, तथा फास्ट ट्रेक अप्रुवल प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदक का सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत देय शुल्क से डेढ़ गुणा अधिक राशि करायी जानी होगी।

भवन निर्माण स्वीकृति ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र एवं डिमाण्ड नोट अनुसार शुल्क जमा होने के पश्चात् जारी अनुमोदन अनुसार विकासकर्ता/भूखण्ड स्वामी द्वारा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। ऑनलाईन प्रक्रिया से अनुमोदित भवन मानचित्रों को नगरीय निकाय की भवन निर्माण समिति में पुष्टि हेतु रखा जाकर अन्य शर्तें एवं यदि कोई अन्य बकाया शुल्क देय है, तो निकाय द्वारा जमा कराया जाकर भूखण्ड पर Plinth Level तक निर्माण होने से

पूर्व स्वीकृति जारी की जानी अनिवार्य होगी। इसके पश्चात् आवेदक/विकासकर्ता की जिम्मेदारी नहीं होगी।

शहरी क्षेत्रीय सुधारों पर राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा कार्यशाला आयोजित

जनप्रतिनिधियों की सक्रियता विकास कार्यो को बढ़ावा देती है। अधिकारियों एव जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयास से विकास कार्यो को गति मिलती है एवं आमजन को लाभ प्राप्त होता है।

कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए परियोजना निदेशक आरयूआईडीपी श्री प्रीतम बी.यशवन्त ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रियता विकास कार्यो को बढ़ावा देती है। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयास से योजनाओं की क्रियान्विति के साथ आमजन को लाभ मिलता है। उन्होनें बताया कि जयपुर शहर में सीवरेज एवं जलापूर्ति के लिए बोर्ड बनाये जाने की प्रक्रिया जारी है। जयपुर संभाग मे ऐसे कई शहर है जहॉ आरयूआईडीपी सीवरेज–पेयजल योजना प्रारम्भ करने जा रहा है। शीघ्र ही जयपुर संभाग में दौसा, चौमू, सांभर, फुलेरा में आरयूआईडीपी के माध्यम से अनेकों योजना प्रारम्भ की जायेगी। उन्होनें बताया सेप्टेज स्लज मैनेजमेंट के माध्यम से कम खर्चे में मल का ट्रीटमेंट किया जायेगा तथा इससे उत्पन्न कम्पोस्ट भी बेची जा सकेगी। उन्होनें कहा कि नगरपालिकाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए नये साधन खोजने होंगे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नवीन तकनीकी से जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को अवगत कराना है साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं का निष्पादन करना है तथा वर्तमान में जारी योजनाओं का कितना लाभ आमजन को प्राप्त हो रहा है तथा उनमें क्या परिवर्तन और किया जाये जिससे अधिक से अधिक लाभ आमजन को मिल सके। यही कार्यशाला का उद्देश्य है।

प्रशासनिक सलाहकार सेन्टर फॉर डवलपमेंट एण्ड गर्वनेंस श्री पुरूषोत्तम बियाणी ने कार्यशाला में कहा कि शहरी जनसंख्या दिनप्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आमजन का पलायन हो रहा है। इससे स्थानीय सरकारों के दायित्व बढ़ जाते है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में जन सुविधाओं के लिए स्वच्छ भारत मिशन अमृत, हृदय, स्मार्टराज, स्मार्ट सिटी, दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसी योजनाएं प्रारम्भ की गई है। इन योजनाओं का आमजन को सीधा कितना लाभ हो रहा है। यही कार्यशाला का उद्देश्य है।

अतिरिक्त परियोजना निदेशक आरयूआईडीपी श्री जी.एस. हाड़ा ने बताया कि शहरों के गांवों की ओर प्रतिवर्ष 03 प्रतिशत आबादी का पलायन हो रहा है। इससे नगरीय निकाय क्षेत्रों में आबादी के दबाव के साथ–साथ व्यवस्थाओं में भी अनेकों परेशानियों का सामना स्थानीय निकायों को करना पड़ रहा है। देश में 74वें संविधान संशोधन के बाद नगरीय निकायों को सुदृढ़ किया गया है। आरयूआईडीपी प्रदेश के विकास में महत्वूपर्ण भूमिका निभा रही है तथा आमजीवन के आधारभूत ढ़ांचे को सुदृढ़ करने के साथ प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास कार्यो को दे रही है।

कार्यशाला में शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण, अमृत, हृदय, स्मार्टराज, स्मार्ट सिटी, दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल, रेरा तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य शहरी विकास योजनाओं की प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गई तथा प्रतिभागियों से खुले सत्र में अनुभव साझा किये गये।

स्वायत्त शासन विभाग में कार्मिकों की पदोन्नति

स्वायत्त शासन विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 13 अक्टूबर, 2017 को आयोजित कर 18 कार्मिकों के विभिन्न पदों पर यथा प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति दी गई।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि 18 कार्मिकों के विभिन्न पदों पर यथा प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के साथ–साथ विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 17 अक्टूबर, 2017 को आयोजित कर राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के 15 पदों पर यथा आयुक्त, राजस्व अधिकारी (प्रथम), अधिशाषी अधिकारी (द्वितीय), अधिशाषी अधिकारी (तृतीय), मुख्य अग्नि शमन अधिकारी एवं अग्नि शमन अधिकारी पद पर पदोन्नति की गई है।

इसी क्रम में तकनीकी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति की गई उसमें से 7 पदों पर अधीक्षण अभियन्ता एवं एक पद पर सहायक अभियन्ता को पदोन्नत की अभिशंषा की गई है।

दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के 10,000 युवाओं को रोजगार

स्वायत्त शासन विभाग दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के 10,000 युवाओं को ओला फ्री टेक्नोलॉजी (ओला टैक्सी) के माध्यम से रोजगार दिलवायेगा।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि ओला फ्री टेक्नोलॉजी (ओला टैक्सी) प्रदेश के 10,000 युवाओं को लीजिंग पार्टनर के रूप में रोजगार उपलब्ध करवायेगा। उन्होनें कहा कि दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आज इस संबंध में ओला फ्री टेक्नोलॉजी (ओला टैक्सी) से एक एग्रीमेंट किया गया है। ओला फ्री टेक्नोलॉजी (ओला टैक्सी) द्वारा बेरोजगार युवाओं को, जिनके पास कार का ड्राईविंग लाईसेंस है उन्हें 50 घण्टे का प्रशिक्षण एवं जिनके पास ड्राईविंग लाईसेंस नहीं है उन्हें 200 घण्टे का प्रशिक्षण मुम्बई व देश के अन्य शहरों में दिया जायेगा। इस दौरान प्रथम तीन माह में 14,000 रूपये एवं रहने की सुविधा तथा तीन माह पश्चात् 18,000 रूपये मासिक वेतन दिया जायेगा। इस दौरान जहॉ पर सीएनजी द्वारा वाहन चलाये जाते है वहॉ 11 घण्टे का कार्य तथा जहॉ पर पेट्रोल अथवा डीजल से वाहन चलाया जाता है वहॉ 12 घण्टे कार्य करना होगा। उन्होनें बताया कि शहरी गरीब युवाओं को बिना किसी शुल्क के ओला फ्री टेक्नोलॉजी (ओला टैक्सी) द्वारा प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा।

अमृत योजनाः विभिन्न शहरों में सीवरेज, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एवं पार्क परियोजना के लिए 217.67 करोड़ रूपये स्वीकृत

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के तहत अब तक 3087 करोड़ रुपये की 87 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिनमें जलापूर्ति की 975.42 करोड़ रुपये की 23 परियोजनायें तथा सीवरेज की 31 परियोजनाये राशि रुपये 1991.72 करोड़, जल निकासी की 5 परियोजनायें राशि रुपये 44.67 करोड़ एवं उद्यान निर्माण/ग्रीन स्पेस की 29 परियोजनायें राशि रुपये 75.90 करोड़ की स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है।

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) की स्टेट लेवल टेक्नीकल कमेटी की सोमवार को स्वायत्त शासन भवन में आयोजित बारहवीं बैठक में 217.67 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृती प्रदान की गई तथा धौलपुर में सीवरेज लाईन डालने के लिए 23.72 करोड़ रुपये के टेण्डर को स्वीकृति प्रदान की गई।

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डां. मनजीत सिंह ने बताया कि अभी तक अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के तहत 3087 करोड़ रुपये की 87 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है जिनमें जलापूर्ति की 975.42 करोड़ रुपये की 23 परियोजनायें तथा सीवरेज की 31 परियोजनाये राशि रुपये 1991.72 करोड़, जल निकासी की 5 परियोजनायें राशि रुपये 44.67 करोड़ एवं उद्यान निर्माण/ग्रीन स्पेस की 29 परियोजनायें राशि रुपये 75.90 करोड़ की स्वीकृत की जा चुकी है।

बैठक में वर्तमान में कार्यरत 4 सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट जोधपुर में 20 एमएलडी, नागौर में 8 एमएलडी, अलवर में 20 एमएलडी एवं धौलपुर में 10 एमएलडी को सी.पी.सी.बी. नार्म्स के तहत क्रमोन्नत करने के लिए राशि 26.88 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। सीकर में सीवरेज फेज–द्वितीय जिसके तहत 104 किमी सीवरेज लाईन एवं 5 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगाया जाना है के लिए 73.59 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई तथा 10 करोड़ रुपये धौलपुर (2 करोड़ रुपये), गंगापुर सिटी (2 करोड़ रुपये), हिण्डौन (2 करोड़ रुपये), बांरा (2 करोड़ रुपये) व नागौर में (2 करोड़ रुपये) की लागत से चिन्हित सड़कों पर फुटपाथ, साईकिल ट्रेक, जंक्शन इम्प्रूवमेण्ट तथा यातायात सुधार के लिए आईलेण्ड निर्माण, जेब्रा क्रासिग, रोड़ साईनेज्, सूचना बोर्ड आदि लगाने के लिए स्वीकृत किये गये।

जयपुर की चारदिवारी में पुरानी सीवर लाईनों को ट्रेंचलैस पद्धति से आवश्यकतानुसार बदलने, सफाई करवाने एवम् सीसीटीवी सर्वे के लिए 74.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार ब्रह्मपुरी में 8 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट के लिए 17.72 करोड़ रुपये,

तालकटोरा में 1 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट के लिए 4.93 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

डां. मनजीत सिंह ने बताया कि हार्टिकल्चर एवं सौन्दर्यकरण कार्य चिन्हित पार्को में करवाने के लिए 9.6 करोड़ रुपये की राशि में पाली (2.7 करोड़ रुपये), हिण्डौन (2.69) करोड़ रुपये, ब्यावर में (1.86 करोड़ रुपये) व टोंक में (2.35 करोड़ रुपये) स्वीकृत किये गये।

धौलपुर में 44.26 किमी सीवरेज लाईन डालने तथा साढे चार हजार घरों में कनेक्शन देने के लिए 23.72 करोड़ रुपये के टेण्डर को स्वीकृत किया गया।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एवं स्वायत्त शासन विभाग के मध्य अनुबंध

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आगामी तीन वर्षो में प्रदेश के 30,000 शहरी युवक–युवतियों को प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आगामी तीन वर्षो में प्रदेश के 30,000 शहरी युवक–युवतियों को प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास कर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को सांयकाल स्वायत्त शासन विभाग एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मध्य एक अनुबन्ध किया गया है। जिस पर निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री पवन अरोड़ा एंव राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से श्री प्रकाश शर्मा, मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

इस अवसर पर परियोजना निदेशक स्वायत्त शासन विभाग श्री एस.आर.मीणा तथा प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में कार्यरत दीन दयाल उपाध्यम राष्ट्रीय शही आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक भी उपस्थित थे।

उन्होनें बताया कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भारत सरकार द्वारा निर्धारित कॉमन नार्म्स के आधार पर प्रशिक्षण प्रदाताओं का निर्धारण, बायोमेट्रिक अटडेन्स, निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करने वाले प्रशिक्षक, क्लास रूम एवं प्रयोगशाला में निर्धारित मापदण्डानुसार उपकरणों नियमित निरीक्षण इत्यादि को भी सुनिश्चित करेगा। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 वर्ष में स्थानीय निकाय विभाग द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को 8,000 शहरी युवक–युवतियों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि रूपये 12. 71 करोड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को उपलब्ध करवाएगा। अनुबन्ध के अनुरूप राशि रूपये 6. 35 करोड प्रथम किश्त के रूप में उपलब्ध करवायी जाएगी।

श्री अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ किया गया अनुबन्ध शहरी कौशल विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा, इसके माध्यम से सभी नगर निकायों में युवक–युवतियों को प्रशिक्षण सुविधाऐं उपलब्ध हो सकेगी।

स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 देश में 4 जनवरी, 2018 से प्रारम्भ

स्वच्छ भारत मिशन के तहत सेल्फ असससमेंट टूल एवं सर्वोत्तम प्रक्रिया विषय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

स्वच्छ भारत मिशन के तहत सेल्फ असससमेंट टूल एवं सर्वोत्तम प्रक्रिया विषय पर स्वायत्त शासन भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का अयोजन निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री पवन अरोड़ा की अध्यक्षता में किया गया।

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 का शुभारंभ 04 जनवरी, 2018 से प्रदेश में होगा। इस सर्वेक्षण में प्रदेश की 191 नगरीय निकाय भाग लेंगी। उन्होनें कहा कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के लिए नये पैरामीटर तैयार किये गये है। जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या/ राज्यों की राजधानी के 500 शहरों की रैकिंग ऑल इण्डिया लेवल पर की जायेगी। जिसमें राज्य के 29 शहरी सम्मिलित होंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 3541 शहरों की रैकिंग राज्य एवं जोन स्तर पर की जायेगी। जिसमें राज्य की 162 नगरीय निकाय सम्मिलित होंगी।

उन्होनें बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के तहत जो सर्वेक्षण पद्धति निर्धारित की गयी है उसमें कुल अंकों में से म्यूनिसिपल डॉक्यूमेंटेशन के लिए 35 प्रतिशत, प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए 30 प्रतिशत एवं नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 35 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के लिए म्यूनिसिपल डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुल 1400 अंको का बटवाया किया जायेगा, जिनमें ठोस कचरे का परिवहन एवं एकत्रिकरण के लिए 30 प्रतिशत (420 अंक), ठोस कचरे का प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए 25 प्रतिशत (350 अंक), स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त 30 प्रतिशत (420 अंक), सूचना–शिक्षा एवं संचार व्यवहार में बदलाव के लिए 5 प्रतिशत (70 अंक), क्षमता सवंर्द्धन के लिए 5 प्रतिशत (70) एवं नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रक्रिया के लिए 5 प्रतिशत (70 अंक) दिये जायेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण – 2018 के लिये स्वतंत्र सत्यापन के लिए इन्डीकेटर्स की प्रगति सही नहीं होने के स्थिति में नेगेटिव मार्किंग भी की जा सकेगी।

उन्होनें कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के तहत प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए जो सर्वेक्षण पद्धति निर्धारित की गयी है उसमें 1200 अंकों में प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए 30 प्रतिशत (360 अंक), नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 35 प्रतिशत (420 अंक), सर्विस लेवल प्रोग्रेस के लिए 35 प्रतिशत (420 अंक) निर्धारित किये गये है। इसी प्रकार नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 1400 अंकों में प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए 30 प्रतिशत (420 अंक), नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 35 प्रतिशत (490 अंक), सर्विस लेवल प्रोग्रेस के लिए 35 प्रतिशत (490 अंक) निर्धारित किये गये है।

उन्होनें कहा कि प्रदेश को खुले में शौच मुक्त बनाये जाने के लिए दिसम्बर 2017 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के सभी वार्डो/शहरों को दिसम्बर, 2017 से पूर्व खुल में शौच से मुक्ति के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय को कार्य योजना बनाकर समयबद्ध रूप से आवश्यक शौचालयों का निर्माण तेजी से करते हुए निर्धारित समयावधि में लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के तहत घर–घर कच रा संग्रहण/परिवहन, प्रसंस्करण एवं निपटान के सभी कार्य करने होंगे।

कार्यशाला में अरबन मैनेंजमेंट सेन्टर, अहमदाबाद के प्रतिनिधि श्री अरविन्द सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में किये सर्वोत्तम प्रक्रिया (नवाचार) के तहत सूरत, इन्दौर, भोपाल आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी साथ ही उन्होनें स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 में किस प्रकार शहर की रैकिंग श्रेष्ठ बनायी जाये इसके लिए आवश्यक जानकारी दी। कार्यशाला में उपस्थित नगरीय निकायों के अधिकारियों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये गये कार्यो की प्रगति विवरण भी प्रस्तुत किये।

स्मार्ट सिटीज मिशन में किये गये कार्यो की समीक्षा

एक दिवसीय कार्यशाला ''प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन'' का आयोजन

प्रदेश की 4 स्मार्ट सिटीज में किये गये कार्यो की समीक्षा के लिए गुरूवार को स्वायत्त शासन भवन में एक दिवसीय कार्यशाला ''प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन'' विषय पर आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ मनजीत सिंह द्वारा की गई ।

कार्यशाला में प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटीज परियोजनाओं श्रेष्ठ कार्य करवाने वाले शहरों को 7 श्रेणियों में अवार्ड दिया जायेगा। जिनमें मुख्यतः कार्य का स्तर, निर्धारित समय में कार्य का पूर्ण होना एवं उपयोगिता को देखा जायेगा। उन्होनें बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा निर्देशानुसार समस्त चारों शहरों में स्मार्ट सिटी लिमिटेड़ (एसपीवी) का गठन किया जा चुका है। जयपुर, उदयपुर व कोटा में परियोजना प्रबन्धक सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति की जा चुकी है। मिशन के तहत कुल 928.8 करोड़ रू. राशि सम्बन्धित स्मार्ट सिटीज को हस्तान्तरित की जा चुकी है। जिसमें केन्द्र व राज्यांश क्रमशः 579 करोड़ रू. व 349.80 करोड़ रू. है।

कार्यशाला के दौरान प्रदेश की चारों स्मार्ट सिटी जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य अभियन्ताओं ने अपनी–अपनी परियोजना का प्रस्तुतीकरण दिया। जयपुर स्मार्ट सिटी के प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि 15 करोड़ रूपये की लागत से जयपुर शहर की चार दिवारी में स्थित प्रमुख बाजारों किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, शिरड्योडी बाजार, रामगंज बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार आदि में 15 करोड़ रूपये की लागत से विरासत संरक्षण परियोजना के तहत फसाड सुधार का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार 10 करोड़ रूपये की लागत से स्मार्ट रोड़ बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिसके तहत जंक्शन के निर्माण का कार्य पूण हो चुका है। शहर में 30 करोड़ रूपये की लागत से चांदपोल अनाज मण्डी एवं जयपुरीया हॉस्पिटल में पार्किंग बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसी प्रकार शहर के 50 राजकीय विद्यालयों में 01 करोड़ रूपये की लागत से स्मार्ट क्लास रूम बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा अब तक 15 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। शहर में 07 करोड़ रूपये की लागत से स्मार्ट टॉयलेट लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है अब तक 20 स्थानों पर स्मार्ट टॉयलेट लगाये जा चुके है।

स्मार्ट सिटी उदयपुर के प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि उदयपुर में चार दीवारी के भीतर 880 करोड़ रूपये की आधारभूत सुविधा विकसित किये जाने के योजना तैयार की गई है। जिसमें से

480 करोड़ रूपये की परियोजना की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। योजना के तहत चार दिवारी के भीतर 24 घण्टे पानी, बिजली उपलब्ध करवाई जायेगी तथा सभी घरों को सीवरेज कनेक्शन से जोड़ा जायेगा एवं बिजली तथा पानी के लिए स्मार्ट मीटर लगायें जायेगे व भविष्य को देखते हुए यूटीलिटी डक्ट तैयार की जायेगी तथा चार दिवारी के सौदर्यकरण के लिए सभी आवश्यक कार्य किये जायेंगे। उदयपुर में सभी सरकारी भवनों में 1 करोड़ 61 लाख रूपये की लागत से 220 किलोवाट के सोरल ऊर्जा उत्पादन के लिए संयत्र लगाये जा चुके है तथा पेन सिटी के तहत 441 करोड़ की परियोजना तैयार की गई है। जिसके तहत परिवहन प्रबंधन सुविधाओं का विकास किया जायेगा। इसी प्रकार उद्यानों में ओपन एयर जिम लगाये जा रहे है। 80 लाख रूपये की लागत से 40 स्मार्ट क्लास रूम बनाये गये है तथा 01 करोड़ 22 लाख रूपये की लागत से कमाण्ड कंट्रोल सेन्टर एवं 50 लाख रूपये की लागत से गुलाब बाग में 91 चारपहिया वाहनों के लिए पार्किंग बनायी गयी है तथा 80 करोड़ रूपये की लागत से पीपीपी मॉडल पर 5, 10 व 25 एमएलडी के तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाये जा रहे है।

स्मार्ट सिटी अजमेर का प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया गया कि अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाये जाने पर 1947.52 करोड़ रूपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिसमें एरिया बेस्ड डवलपमेंट पर 1731.91 करोड़ रूपये के प्रस्तावों की जानकारी दी गई। वर्तमान में आना सागर, मार्टिन डेल ब्रिज, रेल्वे स्टेशन, दौलत बाग, मदार गेट, बस स्टेण्ड, सिविल लाईन, वैशाली नगर आदि में परियोजनाएं प्रारंभ की गई है। परियोजनाओं के तहत एकीकृत ट्रैफिक मैनेजमेंट, सुरक्षा एवं जॉच सिस्टम, स्ट्रीट लाईट का इंटेलीजेंट सिस्टम, सिटी ई–गर्वेनेंस के कार्य किये जा रहे है।

कोटा स्मार्ट सिटी के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि कोटा को स्मार्ट सिटी बनाये जाने पर 1455 करोड़ रूपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किये। जिसमें ऐरिया बेस्ट डवलपमेंट पर 1067 करोड़ रूपये जिसके तहत किशोर सागर एवं कोटरी तालाब के आस–पास के क्षेत्रा को विकसित करना है। कोटा को पेडेस्ट्रियल सिटी (पैदल चलने योग्य) बनाना, वाटर बॉडी का संरक्षण करना, दशहरा मैदान का विकास, टूरिज्म एक्जीविटीज, रोजगार के साधन विकसित करने के कार्य प्रारम्भ किये गये है। पेन सिटी परियोजना के तहत वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत ट्रैफिक मैनेजमेंट के कार्य किये जा रहे है।

कार्यशाला में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक (स्मार्ट सिटीज) श्री साजीश कुमार एवं तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने वाराणसी सर्किल इम्प्रुवमेंट, स्ट्रीट इम्प्रुवमेंट विषय पर, भोपाल की साईक्लिंग शेयरिंग परियोजना एवं उदयपुर की इन्टीग्रेटेड कमाण्ड सेन्टर के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

स्वायत्त शासन विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी ने गुरूवार को सांयकाल स्वायत्त शासन भवन में प्रदेश में जारी विभिन्न योजनाओं अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन अभियान, अमृत, स्मार्ट सिटी, अग्निशमन सेवाओं, स्वच्छ भारत मिशन, दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, गौरव व स्मार्ट राज की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिये।

प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह ने अमृत योजना में अब 3187.11 करोड़ रू. की 88 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिनमें जलापूर्ति के 23, सीवरेज के 31, नाले के 5 एवं पार्क के 29 कार्य सम्मिलित है। कुल स्वीकृत राशि में से 2343.47 करोड़ रु. के 51 कार्य आवंटित किये जा चुके है, 616.60 करोड़ रु. के 28 कार्य निविदा प्रक्रिया में है तथा 193.03 करोड़ रु. के 9 कार्यो की निविदाएं आमंत्रित की जानी है। कुल 88 कार्यो में से 1 कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 44 कार्य जून, 2018 तक व शेष 43 कार्य अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी परियोजनाओं के बारे में बताते हुए उन्होनें कहा कि योजना के तहत कुल स्वीकृत राशि 7025 करोड़ रू. के 270 कार्यों में से 154.29 करोड़ रू. के 29 कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा 1114.91 करोड़ रु. के 34 कार्य प्रगति पर है एवं 2121.37 करोड़ रु. के 61 कार्य निविदाधीन है व 793.49 करोड़ रु. की 33 कार्यो की डीपीआर निर्माणाधीन है तथा 2597.53 करोड़ रू. की 113 कार्यो की डीपीआर तैयार की जानी है। उपरोक्त सभी कार्य मार्च 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्मार्ट राज योजना के संबंध में उन्होनें बताया कि राज्य डाटा सेंटर में सर्वर स्थापित एवं चालू तथा 32 नगरीय निकायों में नेटवर्किंग का कार्य सम्पन्न हो चुका है एवं कम्पयूटर व प्रिंटर भी सप्लाई हो चुकी है तथा स्मार्ट राज वेब पोर्टल पर 4 मॉड्यूल्स (बिल्डिंग परमिशन, फायर, एन.ओ.सी., ट्रेड लाइसेन्स व यू.डी.टैक्स) ऑनलाईन गो–लाइव किये जा चुके है एवं 22.11 लाख प्रोपर्टीज (10.83 लाख प्रोपर्टीज स्थानीय निकायों द्वारा सत्यापित (5 प्रतिशत रेण्डम) की जा चुकी हैं) का सर्वे किया जा चुका है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता श्री एम.के.बैरवा ने बताया कि राजस्थान एनर्जी सेविंग परियोजना के तहत 191 निकायों में से 153 में एलईडी लाईट लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 22 निकायो में कार्य प्रगति पर है, तथा 16 निकायो मे शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा। अब तक प्रदेश में 8.45 लाख एलईडी लाईटें लगायी जा चुकी है।

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की 66 नगरीय निकायो को खुले मे शौचमुक्त घोषित किया जा चुका है। जिसमे से 14 निकायो को भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। सभी 191 नगरीय निकायो को दिसम्बर, 2017 तक खुले मे शौच से मुक्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत् घर–घर कचरा संग्रहण के तहत राज्य के कुल 5300 वार्डो मे से 4250 वार्डो मे घर–घर कचरा संग्रहण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। दिसम्बर, 2017 तक शेष वार्डों मे घर–घर कचरा संग्रहण किये जाने की कार्ययोजना है।

परियोजना निदेशक श्री एस.आर.मीणा ने दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की जानकारी देते हुए बताया कि 10,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर अब तक 1 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करते हुए 5.47 करोड़ रूपये का आवर्ति कोष जारी किया जा चुका है तथा 7500

शहरी गरीबों को 32 करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार 17 हजार शहरी बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण देते हुए 4618 का नियोजन भी किया गया है।

अन्नपूर्णा योजना की जानकारी देते हुए श्री मीणा ने बताया कि प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना का हाल ही में अजमेर से विस्तार का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है। योजना के तहत 500 स्मार्ट अन्नपूर्णा वैन के माध्यम से 5 रूपये में नाश्ता एवं 8 पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की जानकारी देते हुए बताया गया कि अभियान के तहत अब तक अभियान में 224 बावडियों के जीर्णोद्धार योजना में 222 बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। शहरी वनीकरण के लिये 56 शहरो मे स्वीकृत 69 कार्यो के लिये वृक्षारोपण कार्य माह जुलाई (वर्षा के दौरान) वन विभाग द्वारा शुरू किया गया और 65 कार्यो को पूर्ण कर दिया गया है। शेष 4 कार्य 31 नवम्बर, 2017 तक पूर्ण कर दिये जायेगे।

अतिरिक्त निदेशक श्री मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि गौरव पथ योजना के तहत प्रदेश की 191 नगरीय निकायों में 288.44 किमी. सड़कों का निर्माण किया जाना है। अब तक 158.43 कि.मी. सड़कों का निर्माण 152.60 करोड़ की लागत से किया जा चुका है। योजना के तहत 42 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा 125 कार्य कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश की अग्निशमन सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रदेश में 191 नगरीय निकायों में से 139 नगरीय निकायों में 390 अग्निशमन वाहन संचालित है। शेष 52 नगरीय निकायों में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये है। प्रदेश की राज्य की जिन 52 नगरीय निकायों में अग्निशमन सेवा संचालित नहीं है, वहॉ पर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा स्वीकृत राशि रूपये 330.00 लाख से अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। प्रदेश की 49 नगरीय निकायों में जहां अग्निशमन वाहन उपलब्ध नहीं है, वहॉ पर 64.70 करोड़ की लागत से वाहन उपलब्ध कराये जा रहे है तथा जिन नगरीय निकायों में अग्निशमन केन्द्र नहीं है वहॉ पर 21 करोड़ रूपये की लागत से अग्निशमन केन्द्र बनाये जा रहे है।

राष्ट्रीय आरसेटी श्रेष्ठता केन्द्र बैंगलोर के साथ उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने किया अनुबन्ध

स्वायत्त शासन विभाग एवं राष्ट्रीय आरसेटी श्रेष्ठता केन्द (NACER) संस्थान के मध्य दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के स्वरोजगार एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के संबंध में अनुबन्ध किया गया।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोडा ने बताया कि राष्ट्रीय आरसेटी श्रेष्ठता केन्द्र (NACER) :– ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था (आरसेटी) देश के प्रमुख बैंको द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए आरसेटी की स्थापना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में किया गया है। इन्ही संस्थाओं के सफल संचालन एवं निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आरसेटी श्रेष्ठता केन्द्र (NACER), बैंगलोर में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में राजस्थान के 33 जिलों में 35 आरसेटी के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

उन्होनें बताया कि DAY-NULM के अन्तर्गत स्वरोजगार एव कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से नियोजन (EST&P) कें घटकों के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन में इस अनुबन्ध के बाद में अवसरों में प्रर्याप्त वृद्धि हो सकेगी। समस्त राज्य में शहरी बेरोजगार युवक/युवतियों को जीविकोपार्जन/ आय सर्जन गतिविधियों के लिए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण उपलब्ध कराने से पूर्व संबंधित ट्रेड (उद्यम) में 06 दिन का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि युवक–युवतियों को व्यवसाय स्थापित करने में अपेक्षित योग्यता प्राप्त की जा सके। इससे इनके व्यवसाय को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से कराने में सहयोग मिलेगा। स्वरोजगारी अपना व्यवसाय सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से कर सके।

स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण–2018

श्रेष्ठ रैकिंग प्राप्त करने वाले 3 जिला कलेक्टरों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा

जयपुर 24 नवम्बर। स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 में श्रेष्ठ रैकिंग प्राप्त करने वाले 3 जिला कलेक्टरों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। प्रदेश की नगरीय निकाय स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर प्रथम 10 में स्थान प्राप्त करें।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 04 जनवरी, 2018 से प्रारम्भ होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 में सभी नगरीय निकायों को अपनी–अपनी स्वच्छता रैकिंग सुधारने के निर्देश देते हुए कहा है कि सभी नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैकिंग के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी तथा अपने शहर को स्वच्छ बनाना होगा। जिससे रैकिंग में उसे अच्छा स्थान मिल सके। उन्होनें कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 में श्रेष्ठ रैकिंग प्राप्त करने वाले 3 जिला कलेक्टरों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। उन्होनें सभी जिला कलेक्टरों को कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर प्रथम 10 में स्थान प्राप्त करें।

उन्होनें बताया कि सर्वेक्षण–2018 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छता मे उनकी भागीदारी एवं जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है साथ ही इस सर्वेक्षण से नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने मे सुधार करना एवं सभी नगरीय निकायों में एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा को जागृत करना है। उन्होनें बताया कि राजस्थान सभी केन्द्रीय योजनाओं में अग्रणी है। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन में भी राजस्थान को आगे निकलना होगा।

निदेशक एवं सुयक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 04 जनवरी, 2018 से प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण – 2018 प्रारम्भ किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में प्रदेश की 191 नगरीय निकाय भाग लेंगी। उन्होनें कहा कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के लिए नये पैरामीटर तैयार किये गये है। नये पेरामीटर की जानकारी देने के लिए संभागीय स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही है एवं इन बैठकों में नगरीय निकायों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस क्रम में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एंव अजमेर में संभाग स्तरीय बैठकें आयोजित की जा चुकी है। आने वाले दिनों में भरतपुर, कोटा एवं उदयपुर में भी संभाग स्तरीय बैठकें आयोजित की जायेगी।

उन्होनें बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या/राज्यों की राजधानी के 500 शहरों की रैकिंग ऑल इण्डिया लेवल पर की जायेगी। जिसमें राज्य के 29 शहरी सम्मिलित होंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 3541 शहरों की रैकिंग राज्य एवं जोन स्तर पर की जायेगी। जिसमें राज्य की 162 नगरीय निकाय सम्मिलित होंगी।

उन्होनें कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को टीम भावना से काम करते हुए अपने–अपने वार्डो, शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाना है स्वच्छ सर्वेक्षण में अपने शहर/प्रदेश को अव्वल बनाना है। उन्होनें कहा कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रदेश की सभी नगरीय निकयों में स्थित राजकीय होर्डिंग्स, एफ.एम.रेडियो, बस पैनल्स, बस शेल्टर, कियोस्क के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है साथ ही सभी नगरीय निकायों को आवश्यक दिशा–निर्देश भी दिये जा चुके है तथा नगरीय निकायों द्वारा किये जा रहे कार्यो की निरन्तर

मॉनेटरिंग की जा रही है। उन्होनें बताया कि प्रदेश के 70 शहर खुले में शौच मुक्त हो चुके है तथा शेष में प्रक्रिया तेजी से जारी है। प्रदेश के कुल **5300 वार्डो मे से 4250 वार्डो** मे घर–घर कचरा संग्रहण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। दिसम्बर, 2017 तक शेष वार्डों मे घर–घर कचरा संग्रहण किये जाने की कार्ययोजना है।

प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में अनुमानित 6400 टन प्रतिदिन कचरा उत्पन्न होता है उसमे से वर्तमान मे 610 टन प्रतिदिन कचरा प्रोसेसिंग किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के परिसंस्करण एवं निपटान के लिए प्रदेश के 16 शहरो मे प्रोसेसिंग प्लांट के लगाये जा रहे है। यह सभी प्लान्ट मार्च 2018 तक तैयार हो जायेंगे। जिनमें अनुमानित 1500 टन प्रतिदिन कचरा प्रोसेसिंग हो सकेगा। जयपुर एवं जोधपुर मे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाये जा रहे है। जिनमे अनुमानित 1000 टन प्रतिदिन कचरे से लगभग 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। जो मार्च 2018 तक तैयार किये जायेगे।

श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के तहत जो सर्वेक्षण पद्धति निर्धारित की गयी है उसमें कुल अंकों में से म्यूनिसिपल डॉक्यूमेंटेशन के लिए 35 प्रतिशत, प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए 30 प्रतिशत एवं नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 35 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के लिए म्यूनिसिपल डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुल 1400 अंको का बटवाया किया जायेगा, जिनमें ठोस कचरे का परिवहन एवं एकत्रिकरण के लिए 30 प्रतिशत (420 अंक), ठोस कचरे का प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए 25 प्रतिशत (350 अंक), स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त 30 प्रतिशत (420 अंक), सूचना–शिक्षा एवं संचार व्यवहार में बदलाव के लिए 5 प्रतिशत (70 अंक), क्षमता सवंर्द्धन के लिए 5 प्रतिशत (70) एवं नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रक्रिया के लिए 5 प्रतिशत (70 अंक) दिये जायेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण – 2018 के लिये स्वतंत्र सत्यापन के लिए इन्डीकेटर्स की प्रगति सही नहीं होने के स्थिति में नेगेटिव मार्किंग भी की जा सकेगी।

उन्होनें बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के तहत प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए जो सर्वेक्षण पद्धति निर्धारित की गयी है उसमें 1200 अंकों में प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए 30 प्रतिशत (360 अंक), नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 35 प्रतिशत (420 अंक), सर्विस लेवल प्रोग्रेस के लिए 35 प्रतिशत (420 अंक) निर्धारित किये गये है। इसी प्रकार नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 1400 अंकों में प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए 30 प्रतिशत (420 अंक), नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 35 प्रतिशत (490 अंक), सर्विस लेवल प्रोग्रेस के लिए 35 प्रतिशत (490 अंक) निर्धारित किये गये है।

उन्होनें कहा कि प्रदेश को खुले में शौच मुक्त बनाये जाने के लिए दिसम्बर 2017 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के सभी वार्डो/शहरों को दिसम्बर, 2017 से पूर्व खुल में शौच से मुक्ति के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय को कार्य योजना बनाकर समयबद्ध रूप से आवश्यक शौचालयों का निर्माण तेजी से करते हुए निर्धारित समयावधि में लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के तहत घर–घर कचरा संग्रहण/परिवहन, प्रसंस्करण एवं निपटान के सभी कार्य करने होंगे।

प्रदेश में 77 नगरीय निकाय खुले में शौच मुक्त घोषित

कोटा संभाग में 7 नगरीय निकाय खुले में शौच मुक्त घोषित

स्वच्छ भारत मिशन के तहत कोटा संभाग में 7 नगरीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित संभागीय बैठक में स्वच्छ भारत मिशन कार्यो की समीक्षा के दौरान 7 नगरीय निकाय बून्दी, अकलेरा, ईटावा, मांगरोल, छबड़ा, रामगंजमण्डी व सांगोद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रदेश में 70 नगरीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 77 नगरीय निकाय खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुकी है।

4 वर्षो में प्रदेश का हुआ समग्र विकास

राज्य सरकार के सफलतम 4 वर्षो के दौरान स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रदेश में जारी विभिन्न योजनाओं अमृत योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन, हृदय योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना, मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन अभियान, यूआईडीएसएसएमटी, सीवरेज परियोजना, सड़क मरम्मत एवं पुनरूद्धार कार्य, पेयजल परियोजना, आर.ओ.बी./आर.यू.बी. योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट राज परियोजना, एनर्जी सेविंग परियोजना, स्वच्छ भारत मिशन, दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अग्निशमन सेवाओं का विस्तार, गौरव पथ, आरयूआईडीपी फेज–तृतीय के माध्यम से प्रदेश के हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया है।

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी ने नगर नियोजन कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेस में बताया किः–

- **<u>अमृत योजनाः</u>** माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 25 जून, 2015 को अमृत योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना के प्रमुख कार्यो में जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं व सेप्टेज प्रबंधन, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले, पैदल मार्ग, गैर–मोटरीकृत व सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल एवं विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थलों और पार्कों व मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों की जन सुविधाएं बढ़ाकर नागरिक जीवन को ऊँचा उठाना है। अमृत योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 29 शहरों– जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, चुरू, बारां, चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, श्रीगंगानगर, टोंक, झुन्झुनू, भिवाड़ी, ब्यावर, गंगापुरसिटी, हिण्डौनसिटी, सुजानगढ़, किशनगढ़ व झालावाड़ को चयनित किया गया है। राज्य के लिए योजना अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा रू.

3223.94 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है। जिसके अन्तर्गत जलापूर्ति–1007.36 करोड़ रू. सीवरेज–2107.75 करोड़ रू. वर्षा जल नाले–29.83 करोड़ रू. एवं उद्यान– 79.00 करोड़ रू. के 88 परियोजनाओं के कार्य करवाये जा रहे है। अमृत योजना में अब 3187.11 करोड़ रू. की 88 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिनमें जलापूर्ति के 23, सीवरेज के 31, नाले के 5 एवं पार्क के 29 कार्य सम्मिलित है। कुल स्वीकृत राशि में से 2343.47 करोड़ रु. के 51 कार्य आवंटित किये जा चुके है, 616.60 करोड़ रु. के 28 कार्य निविदा प्रक्रिया में है तथा 193.03 करोड़ रु. के 9 कार्यो की निविदाएं आमंत्रित की जानी है। कुल 88 कार्य प्रगति पर है।

- **<u>स्मार्ट सिटी मिशनः</u>** 25 जून, 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ किया गया है। मिशन के प्रमुख कार्यो में पर्याप्त जलापूर्ति, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सफाई, सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, गरीबों के लिए किफायती आवास, सक्षम आईटी कनैक्टिविटी और डिजीटेलाइजेशन, सुशासन, ई–गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी एवं सुस्थिर पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा, महिला एवं बच्चों और वृद्ध नागरिको की सुरक्षा आदि शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत राज्य के चार शहरों – जयपुर, उदयपुर अजमेर एवं कोटा को चयनित किया गया है। परियोजना निधि में प्रत्येक शहर के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रू. एवं राज्य सरकार (राज्य एवं निकाय) द्वारा 500 करोड़ रू. कुल राशि रू. 1000 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया तथा इस योजना में प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रू. एवं राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रू. प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा मिशन के तहत सम्मिलित चारों शहरों के लिए कुल 7025 करोड़ रू. का निवेश प्लान – जयपुर 2401 करोड़ रू., अजमेर 1947 करोड़ रू., उदयपुर 1221 करोड़ रू. एवं कोटा 1456 करोड़ रू. अनुमोदित किया गया है। मिशन के दिशा निर्देशानुसार समस्त चारों शहरों में स्मार्ट सिटी लिमिटेड़ (एसपीवी) का गठन किया जा चुका है। जयपुर, उदयपुर व कोटा में परियोजना प्रबन्धक सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति की जा चुकी है। मिशन के तहत कुल 928.8 करोड़ रू. राशि सम्बन्धित स्मार्ट सिटीज को हस्तान्तरित की जा चुकी है। जिसमें केन्द्र व राज्यांश क्रमशः 579 करोड़ रू. व 349.80 करोड़ रू. है। अब तक कुल स्वीकृत राशि 7025 करोड़ रू. के 270 कार्यों में से 154.29 करोड़ रू. के 29 कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा 1114.91 करोड़ रु. के 34 कार्य प्रगति पर है एवं 2121.37 करोड़ रु. के 61 कार्य निविदाधीन है व 793.49 करोड़ रु. की 33 कार्यों की डीपीआर निर्माणाधीन है तथा 2597.53 करोड़ रू. की 113 कार्यों की डीपीआर तैयार की जानी है।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जयपुर शहर में 20 स्थानों पर बाईसाईकिल शेयरिंग स्टेण्ड स्थापित किये जा रहे है। इसी प्रकार चार दिवारी के भीतर 50 राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम का निर्माण किया जायेगा। अब तक 15 राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। जयपुर शहर में 50 स्थानों पर स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है। अब तक योजना के तहत जयपुर शहर में 20 स्थानों पर स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण किया जा चुका है।

➢ **<u>राष्ट्रीय पुरातत्व विकास एवं पुरूद्धार योजना (हृदय):</u>** शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरातत्व विकास एवं पुरूद्धार योजना (हृदय) स्कीम 21 जनवरी, 2015 को शत–प्रतिशत भारत सरकार के सहयोग से पुरातत्व महत्व के शहरों को समग्र विकसित करने के लिए प्रारम्भ की गई है।

अजमेर शहर के लिए हृदय योजनान्तर्गत नया बाजार विरासत सैर पहली पुनरोद्धार योजना है। योजना के तहत 22.80 एकड़ क्षेत्रफल में कुल सैर लंबाई 1.80 कि.मी. अकबरी किला, सोनी जी की नसियां, बादशाही हवली, घी मण्डी गेट व अन्य पुरातात्विक स्थलों को सम्मिलित किया गया है। नया बाजार विरासत सैर परियोजना की कुल रू. 5.47 करोड़ की लागत की विस्तृत परियोजना तैयार की गई हैं। आनासागर व फायसागर के सुधार व जीर्णोद्धार के लिए 1169 करोड़ रूपये की परियोजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत आनासागर व फायसागर के आस–पास के अतिक्रमण हटाये जाकर वहॉ ट्रेक, कैपेटेरिया तथा सौदर्यकरण आदि के कार्य किये जा रहे है। ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी पुष्कर में स्थित ऐतिहासिक भवनों के संरक्षण के कार्य के लिए एक परियोजना 6.16 करोड़ रूपये की तैयार की गई है। परियोजना में तेजी से कार्य जारी है। अजमेर से जयपुर की और आने वाली राजमार्ग सहित अजमेर के एन्ट्री पाईन्ट एवं अन्य सहयोगी सड़कों के सुधार के कार्य की 3.44 करोड़ रूपये की परियोजना तैयार की गई है तथा परियोजना में कार्य तेजी से जारी है। अजमेर के सुप्रसिद्ध सुभाष उद्यान की कायाकल्प किये जाने के लिए एक महत्वाकंक्षी योजना 8.30 करोड़ रूपये की तैयार की गई है। जिसके तहत सुभाष उद्यान में वांकिग ट्रेक, ओपर जिमनेजियम, बच्चों के खेल–कूद के उपकरण तथा पेड़–पौधे व अन्य सुविधाएॅ विकसित की जा रही है।

➢ **<u>स्मार्ट राज परियोजना:</u>** प्रदेश की समस्त 191 नगरीय निकायों में वेब बेस्ड ई–गर्वनेन्स आधारित स्मार्ट राज परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 125 करोड़ रू. है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय डेटा सेंटर एवं समस्त निकायों में हार्डवेयर व नेटवर्किंग का कार्य सम्मिलित है। शहरी विकास कर के दायरे में विस्तार के लिए प्रत्येक मकान/दुकान इत्यादि का सर्वे करना, केन्द्र सरकार की अमृत योजना में प्रस्तावित सुधारों को लागू करना, स्मार्ट राज पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों द्वारा सेवाओं को आनलाईन लेने में सक्षम हो सकेगा, सभी नागरिक कभी भी एवं किसी भी समय विभिन्न सेवाऐं लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है एवं भुगतान आनलाईन स्मार्ट राज पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा।

नगरीय विकास कर के लिए सभी मकानों/दुकानों का सर्वे करना, 28 सेंवाऐं आनलाईन उपलब्ध कराना (जिनमें 7 सेंवाऐं राज्य सरकार द्वारा पूर्व से ही चालू है एवं 21 आनलाईन सेवाऐं स्मार्ट राज परियोजना के अन्तर्गत बनायी जानी है)। परियोजना के अन्तर्गत आनलाईन सेवाओं में भुगतान प्राप्त करना, व्यापार लाइसेंस, मांग पत्र जारी करना, गृह कर निर्धारण एवं भुगतान, डबल एन्ट्री लेखा का संधारण, सम्पत्ति का प्रबंधन, संस्थापन का प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, भवन निर्माण स्वीकृति, अनापत्ति प्रमाण पत्र, निविदा एवं निर्माण कार्यों का प्रबंधन, ई–ऑक्शन, वेब पोर्टल, भंडार का प्रबंधन, लीज के बिल तैयार करना एवं प्राप्त करना एवं नगरीय सम्पत्ति का प्रबंधन शामिल है।

भवन निर्माण स्वीकृति :– ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान स्वीकृती, नगरीय विकास कर जमा कराना, ट्रेड लाईसेंस स्वीकृति, अग्निशमन अनापत्ति जारी करना। प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा एवं उदयपुर व 2 जिला मुख्यालयों बून्दी एवं सवाईमाधोपुर में 01 अक्टूबर, 2017 से ई–गर्वनेन्स के अन्तर्गत स्मार्ट राज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान स्वीकृती, नगरीय विकास कर जमा कराना, ट्रेड लाईसेंस स्वीकृति, अग्निशमन अनापत्ति जारी की जायेगी। राज्य डाटा सेंटर में सर्वर स्थापित एवं चालू तथा 32 नगरीय निकायों में नेटवर्किंग का कार्य सम्पन्न हो चुका है एवं कम्पयूटर व प्रिंटर भी सप्लाई हो चुकी है तथा स्मार्ट राज वेब पोर्टल पर 4 मॉड्यूल्स (बिल्डिंग परमिशन, फायर, एन.ओ.सी., ट्रेड लाइसेन्स व यू.डी.टैक्स) ऑनलाईन गो–लाइव किये जा चुके है एवं 22.11 लाख प्रोपर्टीज (10.83 लाख प्रोपर्टीज स्थानीय निकायों द्वारा सत्यापित (5 प्रतिशत रेण्डम) की जा चुकी हैं) का सर्वे किया जा चुका है।

- **<u>आरओबी/आरयूबी:</u>** प्रदेश में परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में कुल 57 आरओबी/ आरयूबी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है तथा इसके लिए 1708.71 करोड़ रूपये की एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी गयी है। योजना में राज्यांश रू. 1059. 32 करोड़ रू. एवं रेलवे अंशदान रू. 649.38 करोड़ रू. है। प्रदेश में कुल 57 आरओबी/आरयूबी में से 30 आरओबी/आरयूबी का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिनमें अलवर में 4, श्रीगंगानगर में 4, जयपुर में 3, जोधपुर में 2, कोटा में 2, बीकानेर में 2, चित्तौड़गढ़ में 2, बाड़मेर, सांगरिया, चौमू, सूरतगढ़, मकराना, नांवा, रायसिंह नगर, करनपुर, अजमेर, रींगस एवं भरतपुर शामिल है।

- **<u>प्रधानमंत्री आवास योजना:</u>** प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी के लिए आवास–2022) में राजस्थान सरकार द्वारा एक नई पॉलिसी (मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015) लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत राज्य में राजकीय भूमि पर अब तक 27 शहरों में 43 योजनाऐं जिनमें ई.डब्ल्यू.एस. के 26231, एल.आई.जी. के 16155 कुल 42386 आवासों का निर्माण सम्मलित है। अब तक 11,992 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। भीलवाड़ा शहर हेतु व्यक्गित आधारित निर्माण अनुदान के तहत 180 आवासों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से स्वीकृत करवाई जा चुकी है। केन्द्र सरकार द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. आवासों हेतु राशि रू. 396.16 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है तथा राशि रू. 104.30 करोड़ प्रथम किश्त के रूप में राज्य सरकार को हस्तान्तरित की गई है।

- **<u>एनर्जी सेविगं प्रोजेक्ट:</u>** राजस्थान मे स्ट्रीट लाईट के क्षेत्र मे ऊर्जा बचत करने के लिये ''एनर्जी सेविगं प्रोजेक्ट" तैयार किया गया। जिसके तहत पुरानी ट्युबलाईट/सोडियम लाईट के स्थान पर नवीनतम तकनीक युक्त एल.ई.डी. लाईट का उपयोग किया गया। इसका मुख्य उद्वेश्य सड़को पर प्रकाश की मात्रा मे वृद्धि करना व विधुत उपभोग मे कमी करना है। राजस्थान, मे इस योजना को पूर्णतया: लागू करने के लिए सभी 191 निकायों तथा ई.ई.एस.एल. के मध्य एमओयू सम्पादन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। प्रदेश में अभी तक 8.45 लाख एल.ई.डी. लाईटे लगाई जा चुकी है। 153 निकायो में कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं 22 निकायो में कार्य प्रगति पर है। प्रोजेक्ट

अवधि–7 वर्ष तक ई.ई.एस.एल. द्वारा ही रख रखाव कार्य किया जावेगा। इसके पश्चात सभी एल.ई.डी लाईटे व उपकरणों सम्बन्धित निकाय को संभला दिया जावेगा। वर्ष 2015–16, 2016–17 से अभी तक मे एल.ई.डी. लाईट लगने के पश्चात 832.99 लाख युनिट की विद्युत बचत की गयी एवं राजस्व में 6662.638 लाख रुपये की बचत हुई है।

प्रोजेक्ट, सम्पूर्ण राजस्थान में पूरा होने पर प्रतिवर्ष 1515.40 लाख यूनिट बिजली की बचत होगी व जिसकी राशि 12123.2 लाख रुपये है। राजस्थान सम्पूर्ण भारत मे सर्वाधिक एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट लगाने मे प्रथम स्थान पर है। भारत सरकार, द्वारा राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार–2016 का प्रथम पुरस्कार 14 दिसम्बर, 2016 को 'ऊर्जा संरक्षण दिवस' के अवसर पर नई दिल्ली मे दिया गया। राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा भी इस प्रोजेक्ट को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार–2016 के तहत प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया गया।

- **स्वच्छ भारत मिशनः** देश में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 02 अक्टूबर, 2014 को किया गया तथा यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि सम्पूर्ण देश को जनसहभागिता के माध्यम से 02 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाया जाये एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर देश को पूर्ण स्वच्छ बनाकर उन्हें सच्ची श्रृद्धांजली दी जाये। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हेतु दिसम्बर 2014 मे दिशा निर्देश जारी कर मार्च 2015 मे मिशन क्रियान्विति हेतु राशि जारी की गई। भारत सरकार द्वारा अब तक 409.60 करोड़ रूपये तथा राज्यांश रूपये 247.37 करोड़ रूपये कुल 656.97 करोड़ रूपये नगरीय निकायों को हस्तान्तरित किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त रूपये 140 करोड PFMS के माध्यम से हस्तान्तरण किये जा चुके है। स्वच्छ भारत पोर्टल के अनुसार कुल 2 लाख 70 हजार व्यक्तिगत घरेलू शौचालयो का निर्माण किया जा चुका है तथा 1 हजार सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयो का कार्य पूर्ण हो चुका है।

  प्रदेश की 77 नगरीय निकायो को खुले मे शौचमुक्त घोषित किया जा चुका है। जिसमे से 14 निकायो को भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत् घर–घर कचरा संग्रहण के लिये राज्य की समस्त नगरीय निकायो को निर्देश प्रदान किये गये है। नगरीय निकायो द्वारा उपकरणो का क्रय किया जाकर राज्य के कुल 5300 वार्डो मे से 4250 वार्डो मे घर–घर कचरा संग्रहण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश में प्रतिदिन 610 टन कचरे का परिसंस्करण एवं निपटान किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य के 16 शहरो मे ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के परिसंस्करण एवं निपटान हेतु प्लांट लगाये जा रहे है। जहॉ पर अनुमानित 1500 टन प्रतिदिन कचरा प्रोसेसिंग हो सकेगा। जयपुर एवं जोधपुर मे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाये जा रहे है। जिनमे अनुमानित 1000 टन प्रतिदिन कचरे से लगभग 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा।

- **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशनः** दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है जिसमें केन्द्रीय अंश 60 तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है।

योजना का उद्देश्य बहुआयामी पहुँच के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए सतत् आजीविका के अवसर सृजित करना है। वर्ष 2014–15 से राज्य के 40 नगर निकायों में योजना प्रारम्भ की गयी थी, जिसका वर्ष 2016–17 में राज्य की सभी नगर 191 निकायों में विस्तार किया जा चुका है। योजना का उद्देश्य स्वरोजगार हेतु कम ब्याज–दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है साथ ही शहरी गरीब महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने तथा आजीविका के अवसर प्रदान करने हेतु उन्हें समूहों तथा संगठनों के रूप में विकसित करते हुए मुख्य धारा से जोड़ा गया है। शहरी गरीब महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास को सुनिश्चिम करने के लिए लगभग 100000 शहरी गरीब महिलाओं को 10235 स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है तथा 5478 स्वयं सहायता समूहों को आंतरिक–ऋण व्यवस्था सुदृढ करने के लिए रू. 5.47 करोड़ आवर्ती कोष उपलब्ध कराया गया है।

व्यक्तिगत सूक्ष्म–उद्यमों की स्थापना के लिए 7014 शहरी गरीबों को 30.41 करोड़ रू. की धनराशि का ऋण प्रदान किया गया है। अब तक राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, पेट्रोलियम मंत्रालय के संस्थान सिपेट तथा अन्य प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों यथा ए.टी.डी.सी., आई. एल.डी., ओला व राजकोन के माध्यम से लगभग 16744 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें से 4618 प्रशिक्षुओं को नियोजित भी किया जा चुका है। शहरी पथ विक्रेताओं की समस्याओं के समाधान, सुदृढ़िकरण तथा विकास सम्बन्धी क्रिया–कलापो हेतु अब तक 189 नगर निकायों में टाऊन वेन्डिंग कमेटियों का गठन किया जा चुका है। राज्य में परियोजना व अन्य मदों के अंतर्गत 6949 व्यक्तियों की क्षमता वाले कुल 176 आश्रय स्थल निर्मित है, जिनमें से 136 का संचालन परियोजना के दिशा–निर्देशानुसार किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में शहरी बेघरों के आवास के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु ''शहरी बेघरों के लिए राजस्थान राज्य की नीति 2017'' को अधिसूचित करने हेतु विधि प्रकोष्ठ को अग्रेषित किया जा चुका है। परियोजना के तहत प्रदेश में कुल 97 नवीन आश्रय स्थल स्वीकृत किये गये है, जिनमें से 61 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं उनका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कुल 136 आश्रय स्थलों (परियोजना/अन्य मद में निर्मित) का संचालन परियोजना के प्रबन्धन एवं संचालन मद के अंतर्गत किया जा रहा है।

- **<u>अन्नपूर्णा रसोई योजनाः</u>** वित्तीय वर्ष 2017–18 में अन्नपूर्णा रसोई येाजना को राज्य की सभी 191 नगर निकायों में प्रारम्भ किए जाने की घोषणा बजट में की गई थी। माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा 15 दिसम्बर, 2016 को नगर निगम जयपुर में अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारम्भ किया गया है। अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत श्रमिकों, रिक्शावालो, ऑटोवालो, कर्मचारियों, विद्यार्थीयों, कामकाजी महिलाओं बुजूर्गो एवं अन्य असहाय व्यक्तियों तथा आम नागरिकों को 5 रूपये में नाश्ता एवं 8–8 रूपये में दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जाता है। योजना के प्रथम चरण में 12 शहरों में 80 रसोई वैनों के माध्यम से 21000 व्यक्तियों को प्रतिदिन लाभान्वित किया जा रहा था। अन्नपूर्णा रसोई योजना द्वितीय चरण (विस्तार) का शुभारंभ 16 अक्टूबर, 2017 को विजयलक्ष्मी पार्क, अजमेर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए खुली निविदाओ के माध्यम से कार्यकारी एजेन्सी (जीवन सम्बल चेरिटेबल ट्रस्ट, कोटा) का चयन कर, अनुबन्ध किया गया है। प्रतिदिन 500 स्मार्ट रसोई वैनो के

माध्यम से प्रतिदिन 4,50,000 लोगो को रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जावेगा। अन्नपूर्णा रसोई योजना के अन्तर्गत नये अनुबंधमें प्रति वैन नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि भोजन की संख्या को 100 से बढाकर 300 कर दिया गया है। नवीन अनुबन्ध में नाश्ता की मात्रा को 250 ग्राम से बढाकर 350 ग्राम तथा दोपहर एवं रात्रि के भोजन की मात्रा को 350 से बढाकर 450 ग्राम किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नवीन अनुबन्ध में साधारण रसोई वैनों के स्थान पर स्मार्ट रसोई वैनों का प्रावधान किया गया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, स्क्रीन इत्यादि से सुसज्जित रहेगें। इसके साथ ही भोजन में माइक्रोन्यूट्रेंट का भी उपयोग किया जाएगा। अन्नपूर्णा रसोई योजना का पूर्णतया ई –मोनेटरिंग सिस्टम को अपनाया जाएगा, जिसके लिए निविदादाता द्वारा निदेशालय में स्वयं के खर्चे पर मोनेटरिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी।

- **<u>मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय):</u>** राज्य में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) में राज्य के कुल 191 शहरों मे से 66 शहरों का चयन किया गया है अर्थात् प्रत्येक जिले से जिला मुख्यालय सहित 2 शहरों का चयन किया गया है। चुने गये 66 शहरों मे अभियान 9 दिसम्बर 2016 को प्रारम्भ किया गया है। अभियान के अन्तर्गत राजकीय भवनों (छत क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर व अधिक) पर रूफ टॉप रेनवाटर हारवेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण, प्राचीन बावड़ियों का जीर्णोद्वार/मरम्मत कार्य, शहरी क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण/वनीकरण का कार्य तथा निजी भवन मालिकों को रूफ टॉप रेनवाटर हारवेस्टिंग संरचनों के निर्माण व परकोलेशन पिट के निर्माण हेतु प्रेरित करना। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) प्रथम चरण हेतु रूप्ये 120.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया ह। वर्ष 2016–17 के लिये राशि रूपये 75.35 करोड का बजट आवंटन निर्धारित किया गया, तथा रूपये 53.91 करोड की राशि विभिन्न शहरों को जारी की गयी है। अब तक 1099 रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाये जा चुके है तथा 222 बावड़ियों का कार्य पूर्ण हो चुका है। शहरी वनीकरण के लिये 56 शहरो मे स्वीकृत 69 कार्यो के लिये वृक्षारोपण कार्य माह जुलाई (वर्षा के दौरान) वन विभाग द्वारा शुरू किया गया और 65 कार्यो को पूर्ण कर दिया गया है।

- **<u>गौरव पथ:</u>** नगरीय यातायात को और अधिक सुगम बनाने के लिए प्रदेश की 191 नगरीय निकाय क्षेत्रों में गौरव पथ विकसित किये जाने की महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के निर्देशों पर तैयार की गई है। गौरवपथ निर्माण कार्य के लिए शहर की एक मुख्य महत्वपूर्ण सड़क (1 से 3 किमी लम्बाई) को गौरवपथ के रूप में विकसित किया जावेगा जो कि मुख्य आबादी से जुड़ी हुई है। योजना के लिए वर्ष 2016–17 में राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (आरटीआईडीएफ) से राशि रूपयें 89.27 करोड़ व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि रूपयें 357.10 करोड़ दिये जाने की सैद्धान्तिक सहमति भी दी गई है।

  प्रदेश की 179 नगरीय निकायेां में गौरव पथ का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना पर अनुमानित व्यय राशि रूपयें 44637.00 लाख होने की संभावना है।

योजना के तहत प्रत्येक नगरीय निकाय में गौरव पथ निर्माण पर 02.00 करोड़ रूपये व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है। गौरवपथ का निर्माण नगर निकाय जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, अलवर, भिवाड़ी व श्रीगंगानगर नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वय के राजस्व स्त्रोत से करवाया जायेगा। गौरव पथ योजना के तहत प्रदेश की 191 नगरीय निकायों में 288.44 किमी. सड़कों का निर्माण किया जाना है। अब तक 158.43 कि.मी. सड़कों का निर्माण 152.60 करोड़ की लागत से किया जा चुका है। योजना के तहत 42 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा 125 कार्य कार्य प्रगति पर है।

- **<u>अग्निशमन सेवाएंः</u>** प्रदेश में सभी नगरीय निकायों में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। वर्तमान में प्रदेश की 90 नगरीय निकायों में अग्निशमन केन्द्र स्थापित नहीं है। इन नगरीय निकायों में से 49 नगरीय निकायों द्वारा अग्निशमन केन्द्र स्थापना के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है तथा 21 नगरीय निकायों द्वारा कार्यादेश दिये जा चुके है। इस कार्य पर 21.60 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है। वर्तमान में प्रदेश की 191 नगरीय निकाय में से 139 नगरीय निकायों में 390 अग्निशमन वाहन संचालित है। शेष 52 नगरीय निकायों में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये है। जिसके तहत 330 लाख रूपये की लागत से अग्निशमन वाहन क्रय करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है तथा पॉचवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि 64.70 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। नगर निगम जयपुर के लिए 70 मीटर एवं नगर निगम जोधपुर, उदयपुर एवं नगर परिषद भिवाडी के लिए 60 मीटर उचाई के एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म क्रय किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। उक्त एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म के क्रय किये जाने पर 60.00 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है।

- **<u>सीवरेज परियोजनाः</u>** केन्द्र सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत राज्य के 11 शहरों–चिड़ावा, नवलगढ़, सूरतगढ़, भादरा, लक्ष्मणगढ़, जैतारण, रामगढ़ शेखावाटी, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी, फतेहनगर सनवाड़ व कुशलगढ़ में 761.38 करोड़ रु. की सीवरेज परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। प्रदेश में कुल 721.94 कि.मी. सीवर लाइन में से 496.66 कि.मी. (68.79 प्रतिशत) सीवर लाईन डाली जा चुकी है। इस योजनान्तर्गत कुल 22 एसटीपी (42.00 एमएलडी) 03 सीवरेज पम्पिंग स्टेशन (10.50 एमएलडी) का निर्माण किया जायेगा। प्रदेश के पॉच शहरों जैतारण, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी, फतेहनगर–सनवाड़ व कुशलगढ़ में दिसम्बर 2017 तक तथा छः शहरों चिड़ावा, नवलगढ़, भादरा, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ शेखावाटी व सूरतगढ़ में मार्च, 2018 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- **<u>सीवर लाईनः</u>** प्रदेश के सात शहरों–बालोतरा, बाँसवाड़ा, श्रीगंगानगर, डीडवाना, मकराना, फतेहपुर शेखावाटी, नाथद्वारा में सीवर लाईन ड़ालने एवं ट्रीटमेन्ट प्लॉट कार्य हेतु 472.44 करोड़ रू की राशि स्वीकृत की गई है। अब तक 493.74 कि.मी. सीवर लाइन में से 467.09 कि.मी. (94.60 प्रतिशत) सीवर लाईन डाली जा चुकी है। बॉसवाड़ा व नाथद्वारा शहर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लॉट

का कार्य नही है क्योंकि वहॉ पहले से ही एस0टी0पी0 उपलब्ध है। शेष पॉच शहरों (मकराना (1) फतेहपुर शेखावाटी (1), बालोतरा (1), डीडवाना (1), श्रीगंगानगर (3) कुल सात एस.टी.पी बनाये जाने है। कुल सात एसटीपी में से 5 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा श्री गंगानगर के 2 एस. टी.पी सुरतगढ़, शुगर मील का कार्य प्रगति पर है। श्रीगंगानगर व नाथद्वारा में क्रमशः एसटीपी व सीवरेज का कार्य तेजी से जारी है।

- **<u>सड़क निर्माण/पुनरूद्धार कार्यः</u>** माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्त वर्ष 2017—18 के बजट में राज्य के 191 स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 1000 करोड़ रू. के सड़क निर्माण/पुनरूद्धार कार्य करवाने की घोषणा की गई है। क्षतिग्रस्त/खराब सड़कों का निर्माण/मरम्मत कार्य करवाए जाने हेतु समस्त नगरीय निकायों द्वारा तैयार तकनीकी अनुमान के आधार पर निविदाएॅ आमंत्रित की कार्यवाही की जा रही है। इन कार्यो के कार्यादेश दिसम्बर माह में जारी किये जाना प्रस्तावित है। समस्त शहरी निकायों की सम्बद्ध सड़कों की मरम्मत/पनरूद्धार का कार्य माह जनवरी, 2018 में शुरू करवाया जाकर अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

- **<u>आरयूआईडीपी फेज तृतीयः</u>** आरयूआईडीपी फेज तृतीय में टोंक, पाली, श्रीगंगानगर, झुन्झुनू, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ शहरों में सीवरेज व वाटर सप्लाई के लिये 3660 करोड रूपये की परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। परियोजना ऋण राशि 2200 करोड़ रूपये है। जिसमें से 1500 करोड़ रूपये की प्रथम किश्त प्राप्त हो चुकी है। परियोजना में जलप्रदाय, सीवरेज के कार्य किये जायेंगे। प्रोजेक्ट ऋण के अन्तर्गत छः शहर क्रमशः श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझनू, पाली, भीलवाड़ा एवं टोंक को शामिल किया गया है। कुल स्वीकृत 8 पैकेज (पाली में 2 एवं अन्य शहरों में 1—1 कार्य) आवंटित किये जा चुके हैं। अब तक लगभग राशि रूपये 2410 करोड़ के आवंटित कार्यों में अब तक 258 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है। प्रोग्राम लोन :प्रोग्राम लोन के तहत लगभग 250 मिलियन डालर (राशि 1500 करोड़) के तहत 7 शहरों यथा कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बीकानेर, माउण्टआबू एवं बांसवाड़ा में मलजल प्रबंधन आदि के कार्य कराये जाना प्रस्तावित है। प्रोग्राम ऋण के अन्तर्गत 07 मे से 05 शहरो में कार्य राशि रूपये 625 करोड के आवंटित किये जा चुके है तथा शेष 02 शहरो में कुल राशि रूपये 750 करोड यथा कोटा(663 करोड) व माउन्टआबू (87करोड) में सीवरेज कार्य हेतु निविदाएॅ आमंत्रित की जाकर कार्यादेश हेतु स्वीकृति की प्रकिया में है।